संख्या0–7/विविध–26–06/14............../ 177(7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

यशस्पति मिश्र,
सरकार के उप सचिव।

फैक्स

सेवा में,

अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।
निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना।
निदेशक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना ।
निदेशक, राजेन्द्रनगर अस्पताल,पटना
निदेशक, मॉडल ब्लड बैंक, जयप्रभा अस्पताल परिसर, कंकड़बाग, पटना ।
निदेशक, न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना ।
सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ।
सभी सिविल सर्जन, बिहार।
सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार।
अधीक्षक, सभी सदर एवं अनुमंडलीय अस्पताल।
उपाधीक्षक, सभी अनुमंडलीय अस्पताल।
उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, स्थानीय औषधालय।
सभी क्षेत्रिय मलेरिया पदाधिकारी/जिला मलेरिया पदाधिकारी।
सहायक निदेशक फायलेरिया, बिहार, पटना।
अपर निदेशक–सह–नियंत्री पदाधिकारी, मलेरिया/कुष्ठ एवं यक्ष्मा।
सभी जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी।
निदेशक, टी0बी0डी0सी0, पटना/दरभंगा।
सभी जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, बिहार।
अधीक्षक, महारानी जानकी कुंवर अस्पताल, बेतिया।
अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया।
अधीक्षक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, गया।
अधीक्षक, गुरू गोविन्द्र सिंह अस्पताल, पटना सिटी ।
अधीक्षक, संक्रामक रोग अस्पताल, पटना/गया।
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सभी प्रा0स्वा0केन्द्र/सभी रेफरल अस्पताल।
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, विधायक अस्पताल, पटना।
संयुक्त खाद्य नियंत्रक, बिहार, पटना।
अधीक्षक, यक्ष्मा अस्पताल, कोईलवर।

पटना, दिनांक:– 26-2-2016

विषय:– बिजली विपत्र की बकाया राशि के त्वरित भुगतान के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि विद्युत प्रभार (13–04) इकाई से वास्तविक व्यय की सूचना अनुपलब्ध होने के कारण विद्युत विपत्रों के भुगतान ससमय नहीं हो पा रहा है । आवासीय भवन, अस्पतालों एवं प्रशासनिक भवन में उपभोग किये गये विद्युत विपत्रों की राशि को अलग–अलग दर्शाते हुए व्यय एवं मांग पत्र भेजी जाय । स्मरणीय हो कि आवासीय भवनों के विपत्र उपभोगता द्वारा भुगतान की जायेगी ।

दिनांक–25.02.2016 को मुख्य सचिव महोदय ने अपने सम्बोधन में बकायेदार व्यक्ति / पदधारी/ संस्था का विद्युत विच्छेद करने का निदेश उर्जा विभाग को दिया गया है, जिसमें पहले डी0डी0ओ0 का विद्युत विच्छेद करने की सहमति उर्जा विभाग ने दी है । साथ ही वर्ष 2013–14 में अभियान चलाकर अनुश्रवण करके जिस तरह विद्युत विपत्रों का भुगतान किया गया था । उसी तरह करने का निदेश प्राप्त हुआ है । अतः आप सबों को विशेषकर सभी डी0डी0ओ0 को निदेश दिया जाता है कि बकाया विद्युत विपत्रों का अनुश्रवण कर तथा उसका अद्यतन भुगतान मार्च तक करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जा सकेगी ।

विद्युत विपत्र का वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 में कितना भुगतान किया गया है तथा बिजली विपत्र के बकाया राशि के त्वरित भुगतान हेतु 05 मार्च, 2016 तक स्वास्थ्य विभाग को बकाया राशि का मांग पत्र निश्चित उपलब्ध कराया जाय ताकि ससमय विद्युत विपत्रों का भुगतान किया जा सके । यदि ससमय मांग पत्र उपलब्ध नही करायी जाती है अथवा आपके द्वारा विद्युत मद में राशि प्रत्यर्पित की जाती है तो इसकी सारी जबावदेही आपकी होगी एवं आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जायेगी ।

इसे अतिआवश्यक समझा जाय एवं सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,

अनु0–यथोक्त ।

(यशस्पति मिश्र)
सरकार के उप सचिव।

D:\letters\libility letter.doc